FORM NO . III

× फर्द अहकाम

नियमं 25

# (न्य)ायालय अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना ( अलवर )

भालीदेवी ........................ बनाम ........................ सुनीतादेवी

(कि)स्म मुकदमा ......... प्रार्थना पत्र 212 ......... न० ......... 2137 ......... सन 26-5-2015

| (ता)रीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए। |
|---|---|---|
| | 26-5-15 आज यह पत्रावली मूल वादपत्र के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र 212 RT Act दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष मे साबित प्रतीत है।<br>अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से आगामी दिनांक 07-9-15 तक पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 122 रकबा 44 एयर ........................<br>कुल किता एक वाके ग्राम माचोसिंहपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।<br>क्योना उक्त आदेश ताफैसला सम्पूष्ठ कर दिया जावे। इस संबंध मे कोई आपति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकार अपना जबाव पेश करे। वास्ते तलबी अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। बाद तलबी पत्रावली दिनांक 07-9-2015 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नीमराना (अलवर) | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| | 30.5.24 आज यह पत्रावली मूल नकल के साथ पेश हुई। पत्रावली में मसल बाद अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। अतः प्रार्थना-पत्र भी अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो. बाद पूर्ति संलग्न मूल भाग रहे |

उपखण्ड अधिका[री]
नीमराना (कोटपूतली-बह...)